11.1.23	पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर निर्णय हेतु पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 59, 60 ने अधि० वकील श्री नाथूराम कुमावत द्वारा आवेदन 7(11) CPC पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम मौजा की भूमि ख० नं० 1461, 1462 के स्थान पर भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गलती से ख० नं० 1463 व 1466 अंकित हो गए जिनकी दुरुस्ती के लिए प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया है एवं इसी की सहायता चाही है। नक्शा में दुरुस्ती का मामला धारा 128 व 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व के अधीन आता है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मात्र उपखण्ड

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
अधिकारी न्यायालय को है इसलिए उक्त वाद के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है, तथा उक्त वाद में सिक्यूर कोज ऑफ शू नहीं है उक्त वाद के मुख्य सहायता खसरा नं० 1461, 1462 व 1463, 1466 के सम्बन्ध में है जिसके खातेदार वादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 45 से 58 तक है लेकिन जानबूझ कर आस-पास के खसरा नम्बरों का उल्लेख कर अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाए गए हैं और कोजन लेटमिनेशन की श्रेणी में आता है अतः वाद की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण आदेश 7(11) सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस में इन्हीं तथ्यों को दोहराया। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया कि समस्त वादियों का वाद पत्र वर्णित खसरा नम्बरों से सम्बन्ध है इसलिए इन्हें पक्षकार बनाया गया है। तथा कोई स्पष्ट व संतोषजनक वाद कारण नहीं बताया गया। आवेदन 7(11) CPC व दावे का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा दावे ~~के~~ में इस अनुतोष नक्शा दुरुस्ती का चाहा गया जो कि धारा 136 भू-राजस्व के अन्तर्गत आता है तथा उक्त धारा में सुनवाई का अधिकार ~~उपखण्ड~~ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है। वाद पत्र में वादी संख्या 1 से 3 द्वारा खसरा नं० 1463, 1466 पर नक्शा दुरुस्ती का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 45 से 60 से चाहा गया है तथा वाद पत्र के पैरा 4(b) में अंकित तथा रूप से खसरा नं० 1463, 1466 व 1467 पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	वादी संख्या 1 से 23 का कब्जा बताया गया है जबकि रेकार्ड खातेदार भिन्न हैं तथा वादी संख्या 24 से 27 द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है व खसरा नम्बर भी अलग है अतः वादी संख्या 24 से 27 का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। तथा वादी संख्या 28 से 34 विवाद ख०नं० 1471, 1476, 1477, 1474 व 1475 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 44 तक बताया गया है के खसरा नम्बर वादी व प्रतिवादी पूर्व में उल्लिखित वादी, प्रतिवादी व खसरा नम्बर से पूरी तरह से अलग है इनमें क्या संबंध है और इनका वाद कारण किस प्रकार उत्पन्न होता है यह न तो वाद पत्र में लिखा है और ना ही न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर वकील वादी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया, मात्र यह बताया कि इनका संबंध है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी संख्या 28 से 34 बिना वाद कारण, बिना संबंध उक्त खसरा नम्बरों में न्याय में विलम्ब करने के दृष्टिकोण से वादी बने हैं जिनका वादी बनना न्यायोचित ~~प्रत~~ प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा दावा इसी चरण पर वाद कारण का अभाव होने व प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर का होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो। [illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दाँतारामगढ़ (सीकर)